ग्राम पंचायत लोआई, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लोआई, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति शांता कुमारी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमति सुनीता ठाकुर	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री यश पाल	01.04.13 से 27.08.13
2	श्री सुरेन्द्र कुमार	27.08.13 से 07.02.14
3	श्री रमेश चन्द	07.02.14 से 31.03.16

(ख) <u>गम्भीर अनियमितताओं का सार</u>:-

ग्राम पंचायत लोआई के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-4.2	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना	-
2	पैरा-4.3	नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे तैयार न करना	-
3	पैरा-5	पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली न करना	0.08
4	पैरा-6	अनुदान का उपयोग न करना	5.49
5	पैरा-8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	5.33
6	पैरा-9	निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री का प्रयोग सही अनुपात में न करना	-
7	पैरा-10	स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने बारे	0.04

भाग-दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत लोआई, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल , अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 17.09.16 से 21.09.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 1/14, 2/15 व 2/16 तथा 10/13, 6/14 व 1/16 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत लोआई, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹ 7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की

राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217 दिनांक 21.09.16 द्वारा अनुरोध किया गया , जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 537380 (PNB) दिनांक 21.09.16 द्वारा यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित की गई है।

4. <u>वितीय स्थिति :-</u>

ग्राम पंचायत लोआई , द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्वः स्त्रोत :- ग्राम पंचायत लोआई, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्वः स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	194419	50502	244921	13489	231432
2014-15	231432	45357	276789	13159	263630
2015-16	263630	37085	300715	12223	288492

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत लोआई, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	198719	872696	1071415	829624	241791
2014-15	241791	1566770	1808561	1508073	300488
2015-16	300488	3049830	3350318	2801366	548952

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 288492

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 548952

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹ 837443

हस्तगत राशि : ₹ 1

अन्तर की राशि : ₹ 0

बैंक खाता संख्या	**राशि**
MNREGA, HGB – 042269	0
General, MP,LADA,BASP,IAY,RAY,SBM KCCB – 05264	785345
13^{TH} FC, Own Source PNB – 05027	52098
कुल राशि	**837443**

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत लोआई की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अपेक्षित था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.3 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना:-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया था । अतः नियमों के अनुसार

लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त स्वः स्त्रोत आय को अनुदानों को खाता-क व खाता -ख में जमा करना सुनिश्चित करें ।

5 **<u>पंचायत राजस्व ₹0.08 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना</u> :-**

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से जांच करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक नहीं की गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रौत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें । निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹7800 की वसूली शेष थी ।

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	0	16425	16425	12105	4320
2014-15	4320	5920	10240	2940	7300
2015-16	7300	12860	20160	12360	7800

2 भू- राजस्व की वसूली न करना :- पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2013-14 से 2015-16 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे । अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

6 **<u>अनुदान ₹ 5.49 लाख का उपयोग न करना</u> :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1)

के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹548951 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 <u>निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका एवं इन कार्यों के मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

8 <u>औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.33 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹532869 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 <u>निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री का प्रयोग सही अनुपात में न करना :-</u>

1. "नि. पाइप रेलिंग गाँव नपोता " माप पुस्तिका 7303 पृष्ठ 47-48 में निर्माण कार्य "नि. पाइप रेलिंग गाँव नपोता" के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत व बजरी की खपत से संबन्धित एक मद " P/L C:C 1:2:4 (20 mm Nominal size)" का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा	रेत की अपेक्षित मात्रा	बजरी की अपेक्षित मात्रा (20mm एवं 75mm)
P/L C:C 1:2:4 (20 mm Nominal size) 4.92 CUM	4.92 X 6.40 = 32 बैग	4.92 X 0.425 = 2.09 CUM OR 74 CFT	4.92 X 0.89 = 4.38 CUM OR 154 CFT

जांच में पाया कि उक्त कार्य में अपेक्षित 32 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 16

बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था जबकि रेत व बजरी की खपत अपेक्षित 228 CFT के स्थान पर केवल 120 CFT की गई दर्शाई गई थी । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट , रेत व बजरी की सही मात्रा प्रयोग नहीं की गई थी जिससे उक्त कार्य के निर्माण की गुणवता पर संदेह पैदा होता है । अतः उक्त कार्य में निर्धारित मानकों के अनुसार सही अनुपात में सीमेंट , रेत व बजरी का प्रयोग न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा उक्त कार्यों पर किए गए अनुपयोगी व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

2. "नि. PCC R/Wall नजदीक चोर नाला तरमेहड़ " माप पुस्तिका 7303 पृष्ठ 49-50 में निर्माण कार्य "नि. PCC R/Wall नजदीक चोर नाला तरमेहड़" के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट , रेत व बजरी की खपत से संबन्धित एक मद " P/L C:C 1:3:6 (20 mm Nominal size)" का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा	रेत की अपेक्षित मात्रा	बजरी की अपेक्षित मात्रा (20mm एवं 10mm)
P/L C:C 1:3:6 (20 mm Nominal size) 37.66 CUM	37.66 X 4.40 = 166 बैग	37.66 X 0.47 = 17.70 CUM OR 624 CFT	37.66 X 0.94 = 35.40 CUM OR 1249 CFT

जांच में पाया कि उक्त कार्य में अपेक्षित 166 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 80 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था जबकि रेत व बजरी की खपत अपेक्षित 1873 CFT के स्थान पर केवल 1450 CFT की गई दर्शाई गई थी । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट , रेत व बजरी की सही मात्रा प्रयोग नहीं की गई थी जिससे उक्त कार्य के निर्माण की गुणवता पर संदेह पैदा होता है । अतः उक्त कार्य में निर्धारित मानकों के अनुसार सही अनुपात में सीमेंट , रेत व बजरी का प्रयोग न करने का औचित्य

स्पष्ट करें अन्यथा उक्त कार्यों पर किए गए अनुपयोगी व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

10 <u>स्वीकृत राशि से अधिक व्यय ₹0.04 लाख की वसूली करने बारे</u> :-

जांच में पाया कि कार्य "C/O Boundry wall at GPS Luwai" के लिए लाडा के अंतर्गत ₹105867 स्वीकृत एवं प्राप्त की गई थी जबकि इस कार्य में ₹110150 (MB-7303, P-44,45) व्यय कर दी गई थी अर्थात इस कार्य पर ₹4283 अधिक खर्च कर दी गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11 <u>₹2216 /- का अनियमित व्यय करने बारे</u> :-

जांच में पाया कि मनरेगा के वाउचर संख्या 36 दिनांक 26.06.14 के अन्तर्गत कार्य "नि. बाबड़ी खोडू नाला" के लिए बिल संख्या 510 दिनांक 23.12.13 द्वारा M/s R K Traders, Lohardi से 50 किलोग्राम स्टील की खरीद ₹2216 में की गई थी एवं वाउचर संख्या 37 दिनांक 26.06.14 द्वारा इतनी ही ₹2216 का भुगतान श्री दयाल सिंह को स्टील को कार्यस्थल तक पहुंचाने के एवज में किया गया था जो कि न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है । अतः लोहारडी से कार्यस्थल की दूरी के आधार पर ढुलवाई की ₹2216 को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12 <u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर

2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।

3. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना ।

4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।

13 <u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

14 <u>लघु आपति विवरणिका</u> :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

15 निष्कर्ष :- लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 42/2016–खण्ड–1–6617–6620 दिनाँकः 21.12.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत लुआई, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1 (ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कॉंगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.